

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 95 पार्ट / स्वा.का.पु. / 2019 /

दिनांक :

आदेश

श्री रतिराम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.), अधीन खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरिमन्ना जिला बाडमेर जिनकी राज्य सेवा में रहते दिनांक 19.06.18 को मृत्यु हो गई है, का दिनांक 17.02.14 से 19.06.18 (1584 दिवस) तक अनुपस्थित अवधि को राजस्थान सेवा नियम 86(1) के तहत अकार्य दिवस मानते हुये एतद्द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(मुकुल शर्मा)


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक एफ. 95 पार्ट / स्वा.का.पु. / 2019 / 1090

दिनांक : 28/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि स्व. श्री रतिराम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु) को आपके कार्यालय स्तर से राज्य सेवा से यदि नाम पृथक नहीं किया गया हो तो नाम पृथक करने की कार्यवाही करे तथा प्रकरण में कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम 86 की कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में अनुपस्थित अवधि के प्रारम्भ से कर्मचारी की मृत्यु दिनांक तक संबंधित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के नाम मय वर्तमान में पदस्थापन स्थान की सूचना तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
3. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धोरिमन्ना जिला बाडमेर।
4. स्व. श्री रतिराम के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर